रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 102] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 17, 2015/चैत्र 27, 1937

No. 102] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 17, 2015/CHAITRA 27, 1937

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2015

वितरण लाइसेंसियों द्वारा डीबीएफओओ (पूर्व मामला-I) बोली के अंतर्गत ताप विद्युत स्टेशनों से विद्युत के भावी प्रापण के लिए दिशा-निर्देशों में संशोधन

सं. 23/9/2015-आर एण्ड आर.—कोयला मंत्रालय ने कोयला खान (विशेष प्रावधान) नियमावली, 2014 के नियम 8(3) और कोयला खान (विशेष प्रावधान) अध्यादेश, 2014 की धारा 8(5) के उपबंधों के अनुसार दिनांक 26 दिसंबर, 2014 को आदेश जारी किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कोयला खानों/ब्लॉक के आवंटन तथा नीलामी द्वारा आवंटन के लिए प्रक्रिया भी विनिर्दिष्ट की गई है।

2. दिनांक 26 दिसंबर, 2014 के उक्त आदेश में यह सुनिश्चित किए जाने के लिए विभिन्न शर्तें निर्धारित की गई हैं कि कोयला खान आवंटन अथवा नियतन का लाभ उपभोक्ताओं को भी मिल सके। इसमें यह व्यवस्था भी की गई है कि विद्युत मंत्रालय इस संबंध में उपर्युक्त प्रावधान रखेगा।

तदनुसार, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोयला ब्लॉक की नीलामी से होने वाले लाभ उपभोक्ताओं को भी मिल सकें, विद्युत अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत, घरेलू कैप्टिव कोयला खानों वाले बोलीदाताओं से आमंत्रित की जाने वाली डीबीएफओओ (पूर्व मामला-I) बोली के अंतर्गत विद्युत के प्रापण हेतु दिनांक 09.11.2013 के दिशा-निर्देशों में निम्नलिखित संशोधन जारी किए जाते हैं: